अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

संख्या– विविध–80–01/2022.....4326

प्रेषक,

शम्भु कुमार
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक– 4.11.26

विषय :– बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–125(क)(1)/125(क)(3) तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–445/447 के तहत दायर वाद के अभिलेखों के सत्यापन एवं तथ्यान्वेषण हेतु अद्यतन S.O.P. (मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया) के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है माननीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–125(क)(1)/125(क)(3) तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–445/447 के **तहत आपराधिक मामलों को छिपाने से संबंधित** दायर वाद के अभिलेखों के सत्यापन एवं तथ्यान्वेषण में विभिन्न जिलों द्वारा भिन्न–भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे वादों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः विगत अनुभव के आधार पर उक्त मामलों के त्वरित एवं तथ्यपरक निष्पादन हेतु प्रतिवेदन के मानकीकरण के लिए **आपराधिक इतिहास** से संबंधित मामलों में तथ्य छिपाने के लिए प्रतिवेदन निम्नरूपेण प्रारूप में ही उपलब्ध कराया जाए–

क्र0 सं0	एफ.आई.आर सं0, दिनांक एवं अंकित धाराएं/ वाद सं0 एवं तिथि	एफ.आई.आर. से उदभूत जी.आर. संख्या/ न्यायालय का विवरण/ तथ्य जिसे छिपाया गया है।	सक्षम न्यायायल द्वारा संज्ञान की तिथि/ दोष सिद्ध/ दोष मुक्त/ उन्मोचित किये जाने की तिथि	एफ. आई. आर./ वाद की अद्यतन स्थिति	विचाराधीन निर्वाचन में संवीक्षा (स्क्रूटनी) की तिथि	अनुलग्नक– (1) संबंधित वाद/ एफ. आई.आर. की सत्यापित प्रति (2) संज्ञान आदेश की सत्यापित प्रति (3) सक्षम न्यायायल द्वारा दोष सिद्ध/दोष मुक्त/ उन्मोचित किये जाने के आदेश की सत्यापित प्रति। (4) अन्यान्य मामले में आरोप के अनुसार आवश्यक अभिलेख।
1						
2						
3						

आयोग के इस आदेश को स्थायी आदेश के रूप में समझा जाये तथा भविष्य में उक्त सभी मामलों में उक्त प्रारूप में ही प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए तथा अनुलग्नक के रूप में साक्ष्यों को अवश्य संलग्न किया जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– विविध–80–01/2022.....4326..... पटना, दिनांक–.....4.11.22.....

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से अपने क्षेत्राधीन जिला पदाधिकारियों को संबंधित मामले की त्वरित निष्पादन हेतु उक्त प्रपत्र में प्रतिवेदन देने हेतु निदेशित करने की कृपा करे।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

क्र0सं0	एफ.आई.आर सं0, दिनांक एवं अंकित धाराएं / वाद सं0 एवं तिथि	एफ.आई.आर. से उदभूत जी. आर. संख्या / न्यायालय का विवरण / तथ्य जिसे छिपाया गया है।	सक्षम न्यायायल द्वारा संज्ञान की तिथि / दोष सिद्ध / दोष मुक्त / उन्मोचित किये जाने की तिथि	एफ.आई. आर. / वाद की अद्यतन स्थिति	विचाराधीन निर्वाचन में संवीक्षा (स्क्रूटनी) की तिथि	अनुलग्नक– (1) संबंधित वाद / एफ. आई.आर. की सत्यापित प्रति (2) संज्ञान आदेश की सत्यापित प्रति (3) सक्षम न्यायायल द्वारा दोष सिद्ध / दोष मुक्त / उन्मोचित किये जाने के आदेश की सत्यापित प्रति। (4) अन्यान्य मामले में आरोप के अनुसार आवश्यक अभिलेख।
1						
2						
3						

इस पत्र के सत्यापन हेतु क्यूआर (QR) कोड को स्कैन करें।